

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- 159/25

तारीख 12/6/25

मुकेश पुत्र उदयलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

01. देबीलाल पुत्र भंवरिया जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी नयागांव तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. संजय पुत्र भंवरलाल जाति खटीक उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. रमेशचन्द्र पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
04. राजमल पुत्र घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
05. घीसीलाल पुत्र नाथूलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
06. राधाकिशन पुत्र खाना जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा०ले०रे०एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक: 4/8/25

प्रार्थना पत्र लाडदेवी पत्नि विरेन्द्र कुमार जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड़ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा बिजौलियाकलां पटवार हल्का बिजौलियाकलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 232 पर अंकित आराजी संख्या 1523/198, 1532/200 कुल किता 02 रकबा 0.9550 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ड में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाकलां को पत्थरगढ़ी बाबत् कमीशनर नियुक्त किया जाता हैं। कमीशनर फीस 500/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा बिजौलियाकलां पटवार हल्का बिजौलियाकलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 232 पर अंकित आराजी संख्या 1523/198, 1532/200 कुल किता 02 रकबा 0.9550 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

प्राथमिक उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 159/25

तारीख 12/1/25

प्रेषित :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 159 / 2025 पत्थरगढ़ी बाबत।

मुकेश पुत्र उदयलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया कलां तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)प्रार्थी

बनाम

01. देबीलाल पुत्र भंवरिया जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी नयागांव तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. संजय पुत्र भंवरलाल जाति खटीक उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. रमेशचन्द्र पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
04. राजमल पुत्र घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
05. घीसीलाल पुत्र नाथूलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
06. राधाकिशन पुत्र खाना जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा बिजौलियाकलां पटवार हल्का बिजौलियाकलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 232 पर अंकित आराजी संख्या 1523/198, 1532/200 कुल किता 02 रकबा 0.9550 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पडोसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर बिजौलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/-तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढ़ी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसीयान को सुचित करते हुए पत्थरगढ़ी करें।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ